भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3658

जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2019 को दिया जाना है

कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के समीप भुक्तशेष ईंधन का भंडारण

3658. श्री संभाजी छत्रपती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जन कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के समीप भुक्तशेष ईंधन के भंडारण हेतु 'अवे फ्रॉम रिएक्टर' (रिएक्टर से दूर) सुविधा स्थापित करने के कदम का विरोध कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ग्रामीणों को यह समझाने के लिए कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें इस सुविधा को स्थापित करने में अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करेगी?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) अब तक कोई जन-सुनवाई नहीं हुई है । कुछ समूहों द्वारा मिथ्या सूचना फैलाए जाने के कारण स्थल के आस-पास रहने वाले लोगों के एक वर्ग का, कुडनकुलम में 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) सुविधा स्थापित करने के लिए, कुछ विरोध रहा है ।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने अपने जन-जागरुकता कार्यक्रम में वृद्धि की है और वह एएफआर से संबंधित जन आशंकाओं को दूर कर रहा है । इस संबंध में किए गए उपायों में, मीडिया में उठाई गई आशंकाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रेस रिलीज जारी करना, आस-पास के गाँवों में एएफआर के बारे में सरल स्थानीय भाषा में पैम्फलेट वितरण, स्थल दौरे के दौरान जनता को प्रस्तावित एएफआर के बारे में बताना, स्थल देखने के लिए अधिक स्थानीय लोगों को आमंत्रित करना, राज्य कार्मिकों को जानकारी देना तथा जन समारोहों के दौरान एएफआर के बारे में जनता को जानकारी देना शामिल है ।

****